डाक पंजीयन सं. जयपुर सिटी/101/2020-22

वर्ष : 09 >अंक : 09 >मूल्य: 10 रुपए >पृष्ठ : 08

साप्ताहिक समाचार | मीडिया दृष्टिकोण

हिलव्यू समाचार

R.N.I. No. RAJHIN/2014/56746

hillviewsamachar@gmail.com

जयपुर
रविवार, 21 अगस्त
2022

सभी सुधि पाठकों को राजीव गाँधी जयंती एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ

(नीतियों में अनर्गल परिवर्तन का नतीज़ा)

दिल्ली का वर्तमान कहीं राजस्थान का भविष्य तो नहीं ?

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

रवि जैन, आयुक्त जेडीए

शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। कुएँ से निकली दो-चार बाल्टी में भांग घुले तो चर्चा नहीं होती लेकिन पूरे कुएँ में भाँग घुल जाए तो तय समय पर हंगामा होना तय है। राजधानी जयपुर में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों की भांग शहर के पूरे कुओं में घुल गयी है और सत्ता की शक्ति में चूर सत्ताधारियों को यह अभी नज़र नहीं आ रही लेकिन समय की करवट किसको कितने भूत दिखाएगी यह अब निश्चित होने लगा है। इसी तरह क्या राजस्थान सरकार की इच्छा व सुविधानुसार बदलती विभागीय नीतियाँ दिल्ली सरकार की तरह अपना बुरा भविष्य तय नहीं कर रहीं? नगर निगम, जेडीए, हाउसिंग बोर्ड,आबकारी विभाग, स्वास्थ्य विभाग सरकार के वो कमाऊ पूत हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं।

इनकी लगातार बदलती पॉलिसियाँ क्या इन्हें भविष्य में कटघरे में इसी तरह खड़ा नहीं कर सकतीं?

जेडीए का स्पेशल डवलेपमेंट प्रोजेक्ट के तहत अरबपति-करोड़पति अवैध निर्माणकर्ताओं को राहत देना, ई-ऑक्शन से लॉटरी सिस्टम में कोचिंग हब का आवंटन, प्रशासन शहरों के संग की आड़ में कई भूमाफियाओं के अवैध निर्माण और भूखंडों का नियमितीकरण कर देना,शराब की नीतियों में सुविधानुसार आमूलचूल परिवर्तन करना, स्वास्थ्य विभाग में कई योजनाओं को लागू कर निजी अस्पतालों को राहत की रेवड़ी बाँटना क्या कभी CBI या ED की पारखी निग़ाहों में नहीं आएगा?

आख़िर मुख्यमंत्री,गृह मंत्री, वित्त मंत्री अशोक गहलोत व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को यह बात समझ क्यों नहीं आ रही? कुछ बाल्टी में भाँग घोलें तो समझ आता है लेकिन कुएँ में ही भांग घोलती राजस्थान सरकार कहीं अगला शिकार तो नहीं बनने जा रही सीबीआई या ईडी का?

अभी भी वक़्त है कि राजस्थान के बिगड़ते सिस्टम को सुधारने में अपना वक़्त दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अन्यथा शांति भंग होने का अगला द्वार राजस्थान ही होगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) 'स्पेशल डवलपमेंट प्रोजेक्ट' के तहत गोपालपुरा बाईपास के दोनों तरफ़ आवासीय भवनों को कॉमर्शियल पट्टे बाँटने की तैयारी कर रहा है। जबकि-

- यह सभी बिल्डिंग्स आवासीय भूखंडों पर कमर्शियल रूप लिए अवैध रूप से बनी हैं।
- सभी बिल्डिंग्स बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन की श्रेणी में आती हैं।
- किसी भी भवन में उसकी वाहन पार्किंग के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा या बनाया गया है
- किसी भी भवन में फायर सुरक्षा के पुख़्ता नियमों का पालन नहीं किया गया है।
- क्या 160 मीटर चौड़ी गोपालपुरा सड़क के दोनों तरफ 72 मीटर तक स्थित भूखंडों का आवासीय से कमर्शियल भू-रूपांतरण कर कमर्शियल पट्टे बाँटे जाना बिल्डिंग बायलॉज नीति पर सरकार का बड़ा झटका नहीं है?

गोपालपुरा बाईपास सहित मुख्य मार्गों पर खड़ी अवैध बिल्डिंग्स क्या कभी जेडीए को नज़र नहीं आईं कि इन्हें भी सील बन्द करके लाल अक्षरों से महावीर नगर प्रथम के प्लॉट न. 441 की तरह रंग देती कि यह बिल्डिंग अवैध है और तो और उन अवैध बिल्डिंग्स के मुख्य द्वार को भी ईंटों से चुनवा कर सील बन्द करती? आख़िर बिल्डरों, भूमाफ़ियाओं, अवैध निर्माणकर्ताओं को राहत देने का रास्ता क्यों निकाल रहा है जेडीए? जबकि एक तरफ आशियाने उजाड़ रहा है जेडीए।

आम आदमी की आशियानों को सील बन्द कर उन पर जेसीबी चलवाकर जनता की नज़र में हीरो बनती सरकार आख़िर इन बड़े भूमाफ़ियाओं के आगे घुटने क्यों टेक रही है? यह बड़ा गहरा, गम्भीर व सोचनीय विषय है।

ग़लियों के अवैध निर्माण पर जेडीए की नज़र और साथ ही बड़ी कार्यवाही भी लेकिन मुख्यमार्गों के अवैध निर्माणों को स्पेशल डवलपमेंट प्रोजेक्ट का नज़राना?

*प्लॉट न.441, ब्लॉक आदर्शनगर,गेट न.03,महावीर नगर प्रथम, जयपुर *मुख्य मार्ग से तीन गली पीछे की अवैध बिल्डिंग जेडीए को नज़र आई और उसने कार्यवाही कर उसे सील बन्द कर दिया और एक तरफ़ गोपालपुरा बाईपास मुख्य मार्ग पर बेशर्मी और दबंगता से खड़ी अवैध बिल्डिंग्स को कमर्शियल पट्टा देकर वैध करार दिया जा रहा है? यह दोहरी नीति क्यों?*

18 अगस्त को जेडीए ने महावीर नगर प्रथम,आदर्शनगर ब्लॉक,गेट नंबर 03 के प्लॉट न.441 पर बड़ी कार्यवाही की और भवन के मुख्य दीवार व खिड़की को ईंटों से चुनवाकर सील बन्द कर दिया। कारण था कि 441 के प्लॉट मालिक ने बिना अनुमति,बिना सेटबैक छोड़े 311 वर्गगज पर बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर पॉश इलाके में बेसमेंट में 13 कमरों का निर्माण व चार मंज़िला व्यवसायिक निर्माण कर लिया जो कि अवैध निर्माण है।

वाह!! मुख्य मार्ग से चार गली अंदर का आशियाने का अवैध निर्माण जेडीए को नज़र आ गया? लेकिन मुख्य मार्गों पर बेशर्मी से खड़े और दु:साहस से अट्टाहस लगाते अवैध निर्माण वाले भवन कभी जेडीए को नज़र नहीं आये और नज़र आये तो उन्हें अवैध क़रार देने के बजाय उन पर बड़ी कार्यवाही करने के बजाय राजस्थान सरकार जेडीए के माध्यम से स्पेशल डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कमर्शियल पट्टे का नज़राना पेश कर रही है.....क्यों?

सबसे बड़ी बात कि जब प्लॉट नंबर 441 जैसे कई अवैध निर्माण का निर्माण कार्य चरम पर होता है तब सरकारी विभाग की नींद क्यों खुलती है क्या अवैध निर्माणकर्ता का मोटा पैसा फँसने के बाद मोटी रक़म ऐंठने का इंतज़ार किया जाता है? आख़िर शुरुआत में ही इन अवैध भवनों के निर्माण को क्यों नहीं रोका जाता क्यों इन्हें मंज़िल-दर-मंज़िल चढ़ने दिया जाता है कि जितना मंज़िल यह अवैध निर्माण होगा उतना ही बड़ा साइज आपसी मिलीभगत या सौदे का हो जाएगा ?

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला

ग़लत काम के ग़लत नतीज़े आते ही हैं...चाहे देर से सही

जब सत्ता में सरकार होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे अपनी शक्तियाँ नज़र आती हैं वर्तमान के कर्मों पर बनता- बिगड़ता भविष्य नहीं कि जो बो रहे हैं उसे काटना भी उन्हें ही पड़ेगा। सत्ता का थोड़ा नशा ठीक है मगर वह नशा सर चढ़कर बोलने लगे तो पतन की ओर ले जाता है।यह नशे में झूम रहे हर नशेबाज़ को याद रखना चाहिए।

CBI ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास और 20 अन्य स्थानों पर शुक्रवार को छापा मारा। इस मामले में CBI ने जो FIR दर्ज की है उसमें उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को ही आरोपी प्रथम बनाया गया।केवल शासन नहीं प्रशासन भी CBI की राडार पर आ गए।

मनीष सिसोदिया देश से बाहर नहीं जा सकते. CBI ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया।

नई आबकारी नीति में घोटाले के मामले में ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. CBI की छापेमारी के बाद अब डिप्टी सीएम सहित 14 लोगों के खिलाफ CBI ने लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया।दिल्ली में नई आबकारी नीति के मामले में दिल्ली LG ने CBI जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से नई नीति को वापस लेने का एलान कर दिया गया। गत शुक्रवार को लगभग 13 घंटों कर CBI ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर जांच की। जिसके बाद उनके मोबाइल फोन सहित कई तीजें भी जब्त कर ली गई।

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 120B, 477A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद अब इस केस में ED जांच भी हो सकती

सत्ता के नशे में चूर मंत्रियों की ग़लती या मिलीभगत में बराबर की भागीदारी व सहयोग अधिकारियों को ले ही डूबती है।

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित इन पर हुई FIR दर्ज

- 1. मनीष सिसोदिया- डिप्टी सीएम, दिल्ली
- 2. आर्व गोपी कृष्ण- तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर
- 3. आनंद तिवारी- एक्साइज डिप्टी कमिश्नर
- 4. पंकज भटनागर- असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर
- 5. विजय नैयर, CEO- एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, मुंबई
- 6. मनोज राय- पूर्व कर्मचारी, पेनोंड रेकोर्ड
- 7. अमनदीप ढाल- डायरेक्टर, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
- 8. समीर महेंद्रु- मैनेजिंग डायरेक्टर, इंडोस्प्रिट ग्रुप, जोरबाग़
- 9. अमित अरोड़ा- बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, डिफेंस कॉलोनी
- 10. बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
- 11. दिनेश अरोड़ा- गुजरावाला टाउन, दिल्ली
- 12. महादेव लिकर- ओखला इंडस्ट्रियल एरिया
- 13. सनी मारवाह- महादेव लिकर
- 14. अरुण रामचंद्र पिल्लई- बंगलुरु, कर्नाटक
- 15. अर्जुन पांडेय- गुरुग्राम फेस-3 डीएलएफ

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल

चौड़ा रास्ता के मुख्य मार्ग पर जयपुर कॉलेज (नाना जी की हवेली) का अवैध निर्माण और अतिक्रमण जो कि रूपसिंह जी की हवेली यानी संपदा विभाग की सरकारी संपत्ति को भी लील रहा है यह किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर हेरिटेज को नज़र क्यों नहीं आता। परकोटे को विश्वधरोहर की सूची के बाद यहाँ किसी भी निर्माण की अनुमति नगर निगम द्वारा नहीं दी जा सकती फिर यह निर्माण किसकी छत्रछाया में हो रहा है। बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते परकोटे के ऐसे कई अवैध निर्माण और अतिक्रमण भी क्या जेडीए की तर्ज़ पर ही नगर निगम के स्पेशल डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत वैध कर दिए जाने तक पालपोसे जायेंगे?

मुझे जयपुर कॉलेज के बारे में जानकारी नहीं। अगर समय मिला तो अवश्य विजिट करूँगा नाना जी की हवेली जयपुर कॉलेज की साइट पर।

राकेश मीणा
डीसी किशनपोल ज़ोन नगर निगम हेरीटेज, जयपुर

क्या जेडीए को ये अवैध निर्माण नज़र नहीं आते?

बिल्डिंग बायलॉज का उल्लघंन करती और सड़क एवं मुख्य मार्ग घेरती सफारी होटल्स।

गोपालपुरा बाईपास की रोज़ की ट्रैफिक स्थिति।

● प्लाट नम्बर 44, आशा दीप श्री पुरम, जगतपुरा, डी मार्ट के पास

प्लॉट न.C-20 सेक्टर 22, प्रतापनगर

JDA के प्रवर्तन अधिकारियों को ये अवैध निर्माण नज़र क्यों नहीं आते?

जेडीए की प्रवर्तन शाखा की आँख से यह प्लॉट न. 20 और 21 उषा कॉलोनी, मालवीय नगर जयपुर सील होने से कैसे बच रहा है?